समाहरणालय, दरभंगा

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

दिनांक 03.05.2017 को नगर निगम निर्वाचन से संबंधित चुनाव कार्य की समीक्षा हेतु कोषांगों के बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

बैठक में चेक लिस्ट तथा पूर्व बैठक की कार्यवाही के आधार पर सभी कोषांगों के कार्यो की समीक्षा की गयी तथा निम्न निदेश दिया गया :–

1. कार्मिक कोषांग

➢ कार्मिक कोषांग द्वितीय नियुक्ति पत्र निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रेक्षक के उपस्थिति में कर्मियों के रेन्डेमाईजेशन के उपरान्त दिनांक 11.05.2017 को निर्गत करें।

➢ कार्मिकों का तृतीय रेन्डेमाईजेशन दिनांक 18.05.2017 को किया जाय एवं रेन्डेमाईजेशन प्रेक्षक तथा निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में किया जाय।

➢ सभी मतदान कर्मियों का पहचान पत्र तैयार कर लिया जाय तथा उन्हें तथा इसे ससमय कर्मियेां को उपलब्ध करा दिया जाय।

➢ मतगणना कर्मियों का आकलन कर उनके नियुक्ति पत्र के संबंध में भी ससमय कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

➢ रेन्डेमाईजेशन के लिए सॉफ्टवेयर प्राप्त करने की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ससमय सुनिश्चित करेंगे।

➢ डिस्पैच एवं रिसीभिंग केन्द्र के संबंध में आवश्यक आदेश ससमय निकालना सुनिश्चित किया जाय।

➢ पी0सी0सी0पी0 का टैगिंग कर लिया जाय। इस हेतु उप निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, नोडल पदाधिकारी, विधि व्यवस्था कोषांग तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर एवं सदर दरभंगा तत्काल बैठक कर यह कार्य पूर्ण कर लें।

➢ उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया कि वे सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ ARO से कराना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य दिनांक 09.05.2017 तक पूरा कर विहित प्रपत्र में सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध करावेंगे।

➢ निर्वाची पदाधिकारी रेन्डम आधार पर स्वयं भी दस प्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

2. ई0भी0एम0 कोषांग

➢ उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, से समन्वय स्थापित कर आयोग से अधियाचित संख्या में ई0वी0एम0 प्राप्त करने की कार्रवाई करें।

➢ ई0भी0एम0 की कमी होने पर प्रत्येक दो वार्ड पर एक सेक्टर बनाया जा रहा है, इसलिए उन्हें एक–एक सुरक्षित ई0भी0एम0 दिया जा सकता है।

➢ ई0भी0एम0 सीलिंग हेतु वार्डवार दल गठित करते हुए उसका आदेश तत्काल निर्गत कर दिया जाय।

- सिलिंग कार्य योजना तथा ई0वी0एम0 वितरण कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें एवं उक्त योजना के आधार पर ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- मतदान के तिथि को ई0वी0एम0 के कार्य न करने की स्थिति में मतदान केन्द्र पर पंहुचाने इसे ठीक कर संचालित करने के लिए टीम का गठन कर लें।

3. वाहन कोषांग
   - मतदान दल, गश्तीदल तथा सेक्टर एवं जोनलदण्डाधिकारी तथा पुलिस बल के परिवहन के लिए वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर दिनांक 10.05.2017 तक प्रस्तुत करें।
   - वाहनों की व्यवस्था के लिए पहले से एक प्लान बना लेंगे तथा वाहन मालिक एसोशिएसन से बैठक कर ससमय निर्वाचन कार्य के लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अधियाचना आदेश भी ससमय वाहन मालिक को उपलब्ध करा देंगे।
   - वाहनों के ईंधन की आवश्यकता का आकलन कर रूट में पड़ने वाले पेट्रोल पम्प मालिक को अधियाचना भेजेंगे ताकि सहुलियत से उन्हें ईंधन मिल सके।
   - वाहनों को मतदान के दो दिन पहले यानि 19.05.2017 को नेहरू स्टेडियम में रिपोर्ट कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. सामग्री कोषांग
   - उप निर्वाचन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ससमय सामग्री प्राप्त कर लें।
   - कार्य योजना के अनुरूप सामग्री का पैकेटिंग करने की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करें।
5. प्रशिक्षण कोषांग
   - प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण स्थल का सत्यापन कर प्रशिक्षण संबंधित सभी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
   - प्रशिक्षण कोषांग के चेक लिस्ट के अनुसार सारी कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करें।
6. मतपत्र कोषांग
   - मतपत्रों के विखंडीकरण के लिए टीम की तैयारी कर लें तथा ससमय इसका विखंडीकरण पंजीबद्ध करते हुए करें।
   - विखंडीकरण से संबंधित सारे सामग्रियों की आवश्यकता का आकलन कर इसे ससमय अधियाचित कर प्राप्त कर लें।
   - पी0सी0सी0पी0 को मतपत्र उपलब्ध कराने के लिए ई0वी0एम0 कोषांग से समन्वय स्थापित कर ससमय सारी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
7. बज्रगृह कोषांग
   - बज्रगृह केन्द्र का निर्माण ससमय सुनिश्चित कराये।
   - मतगणना केन्द्र एवं बज्रगृह का प्रस्ताव आयोग को शीघ्र भेजे।
   - बज्रगृह केन्द्र पर पोल्ड ई0भी0एम0 आदि सामग्री की प्राप्ति एवं मतगणना के दिन उसके वितरण हेतु आवश्यक कर्मियों एवं

पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

- बज्रगृह केन्द्र पर ई0वी0एम0 प्राप्ति से लेकर मतगणना कार्य समाप्ति तक परिसर की सुरक्षा तथा बज्रगृह की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0भी0 कैमरे ससमय लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- मतगणना कोषांग का अलग से गठन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8. **प्रेक्षक कोषांग**

- नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। प्रेक्षक हेतु सभी कागजात/फोल्डर उन्हें उपलब्ध हो गये हैं।
- जिला निर्वाचन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर कार्यालय से निकलने वाले सभी महत्वपूर्ण निर्देश/पत्र प्रेक्षक को उपलब्ध कराते रहें।

9. **विधि व्यवस्था कोषांग**

- संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों को शीघ्र चिन्हित करें।
- संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित करने हेतु नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी का बैठक कर इसे चिन्हित करना सुनिश्चित करें।
- मतदान एवं मतगणना के लिए संयुक्तादेश ससमय निर्गत करें।
- चूँकि गृह रक्षकों की हड़ताल जारी है, इसलिए सुरक्षा बलों के संबंध में आकलन कर अधियाचना वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सरकार को भेजेंगे।

10. **चुनाव आदर्श आचार संहिता कोषांग**

- आदर्श आचार संहिता संबंधी एक पन्नें का संक्षिप्त चेक लिस्ट बनाकर प्रचार–प्रसार करायें।
- एम0सी0सी0 टीम का गठन कर ले तथा सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र में इसके अनुपालन पर निगरानी रखें।
- दैनिक प्रतिवेदन प्रति दिन संघ्या 05:00 बजे तक समर्पित करें।

11. **मिडिया कोषांग**

- **KYC** (अपने अभ्यर्थी को जानें) संबंधित विवरणी निर्वाची पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में प्राप्त करें।
- बैनर मुद्रित कराने हेतु आवश्यक निधि का आकलन कर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करावे।
- **KYC** से संबंधित सारे कार्य तथा चेक लिस्ट के अनुरूप सारा कार्य ससमय सुनिश्चित करें।

12. **व्यय लेखा कोषांग**

- व्यय लेखा की जॉच हेतु टीम एवं रोस्टर बना सभी अभ्यर्थियों की व्यय लेखा की जॉच सुनिश्चित करें।

13. **संचार योजना कोषांग**

- संचार योजना पुस्तिका को तैयार कर प्रत्येक नम्बर की जॉच कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सुनिश्चित करें।
- पुस्तिका का ससमय मुद्रण करा सभी संबंधित को उपलब्ध करावें।

14. जनशिकायत / हेल्पलाईन कोषांग

- अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है, इसलिए इसके लिए विधिवत् पंजी संधारित करते हुए इसकी जॉच करावें एवं प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन से अवगत करावे।

15. वीडियोग्राफी / डिजिटल फोटोग्राफी कोषांग

- मतदान की तिथि तथा मतगणना आदि के लिए आवश्यक विडियो कैमरा का आकलन कर लें एवं इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

16. कार्मिक कल्याण एवं मतदान केन्द्र बुनियादी सुविधा कोषांग

- प्रत्येक मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर उसपर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर निगम एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा) से समन्वय कर ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक मतदान दल को मेडिकल कीट देने के लिए कीट तैयार करा लें तथा सामग्री कोषांग को उपलब्ध करा दे ताकि उनके झोले में उन्हें दिया जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी नोडल पदाधिकारियों को आदेशित किया गया कि वे चेक लिस्ट के अनुरूप अपने कोषांग के अन्य सभी कार्यो का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें।

तदोपरान्त धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक.......608..../निर्वाचन, लहेरियासराय, दिनांक 06 मई, 2017.

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, सदर/बहादुरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी कोषांगों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

05/05/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।